न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 81/2016

सुखविन्द्र कौर पत्नी दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी 75 जी.बी. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. प्रकाश कौर
2. सतपालसिंह
3. इकबालसिंह

(1 से 3) पिसरान मंगलसिंह जाति रायसिख निवासी चक 4 एस.एच.पी.डी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

4. इन्द्रकौर पुत्री रामसिंह जाति रायसिख निवासी 85 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंन्डेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर दिनांक 17.05.2016

उपस्थितिः—

श्री मनोहरलाल सहारण अभिभाषक अपीलार्थी
श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 05.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/अपीलार्थी ने एक वाद सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के न्यायालय में राज.काश्त.अधि. की धारा 92ए, 188 रामसिंह के परिवार की वंशावली दर्शातें हुए रामसिंह को चक 3 सी बडी के मु.नं. 7 के कि.नं. 1 से 25 की 6.325है0 भूमि आवंटन थी। उक्त भूमि में से 12.10 बीघा भूमि रामसिंह ने माघसिंह को हस्तांतरित कर दी। मृतक रामसिंह के वारिसों के द्वारा 12.10 बीघा भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 6.04.2011 को वादिया के पक्ष में निष्पादित कर कब्जा सौंप दिया। विवादित भूमि पर कब्जा काश्त अपीलार्थी का चला आ रहा है। भूमि की कीमतें बढने के कारण प्रतिवादी सं. 1 से 4 भूमि को विक्रय करने की फिराक में है। अतः निवेदन है कि वादीया के पक्ष में इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण

5/6/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

समस्त हिस्सा किला नम्बर 1 ता 10,13 म 10 बिस्वा 14,15 सालम कुल

वादिया के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप न करें। प्रतिवादीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वादिया की एकतरफा बहस सुनकर वादिया का वाद खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध वादीया अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

रेस्पों. की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट ने जरिये इकरारनामा क्रय कर रखी है तथा मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पों. उक्त भूमि को आगे बेचान करना चाहते हैं। अधी. न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए वाद स्वीकार किया जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण का मूल आधार इकरारनामा है जो अधी. न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ सं. ए4/4 पर उपलब्ध है जो 25,00,000/– रूपये की राशि से सम्बन्धित है। भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार जो 100/– रूपये की ज्यादा राशि के हस्तांतरण हों उनका पंजीयन अनिवार्य है तथा जिनका पंजीयन अनिवार्य है उनको अगर पंजीयन नहीं करवाया गया है तो उसे इसी अधिनियम के अन्तर्गत साक्ष्य में ग्राहय नहीं किये जाने का निर्देशित है। तदनुसार इकरारनामा आधारित दावा अधी. न्यायालय द्वारा निरस्त किया है जिसमें कोई विधिक भूल नहीं होने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइस नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/6/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

समस्त हिस्सा किला नम्बर 1 ता 10,13 व 16 ... 14,15 ...